रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 1996/माघ 3, 1917
No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 1996/MAGHA 3, 1917

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1996

जबकि कुछ समय पूर्व भारत सरकार बीमा मार्किट के बढ़िया विनियमन, संवर्धन और सुव्यवस्थित विकास के बारे में चिन्तित रही है; और

जबकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत किये गये प्रावधान में बीमा नियंत्रक के संस्थान को प्रतिस्थापित करने के लिए एक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत विधान पारित करने; और जहां तक कि वे इस उद्योग के विनियमन संवर्धन तथा सुव्यवस्थित विकास से सम्बन्धित हैं इस अधिनियम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की सम्बन्धित धाराओं में संशोधन करना आवश्यक है; और

जबकि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस प्रकार के व्यापक विधान का अधिनियम होने तक प्रस्तावित संवैधानिक प्राधिकरण, जिसके साथ अन्तरिम निकाय का अन्त में विलय हो जाएगा अथवा प्राधिकरण का गठन होने पर यह उसमें परिवर्तित हो जाएगा के प्रारंभिक निकाय के रूप में एक अन्तरिम निकाय का गठन करना एवं उसे संचालनात्मक बनाना आवश्यक है, और

अतः अब भारत सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बीमा विनियामक प्राधिकरण का गठन करती है।

(i) बीमा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष भी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(ख) के प्रयोजनों हेतु बीमा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वह उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो वर्तमान में बीमा नियंत्रक के पास हैं।

(ii) अंतरिम निकाय यह जांच करेगा कि कौन सी शक्तियां, जो बीमा नियंत्रक से वापस ली गई अथवा समय-समय पर जारी की गई सरकारी अधिसूचनाओं के माध्यम से

संशोधित की गई, अथवा बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण अधिनियमों के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम को प्रत्यायोजित की गई, को बीमा नियंत्रक को वापस दिये जाने की आवश्यकता है। हालांकि इस शक्ति का प्रयोग करते हुए बीमा विनियामक प्राधिकरण बीमा उद्योग के पूर्णतः अथवा अंशतः निजीकरण की सम्भावना को ध्यान में रखेगा और इसकी भूमिका तथा शक्तियों के संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करेगा, जिनकी ऐसे परिदृश्य में बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किये जाने की आवश्यकता होगी।

(iii) यह अंतरिम निकाय बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन केन्द्रीय सरकार की उन शक्तियों की भी जांच करेगा, जिन्हें जैसे ही बीमा विनियामक प्राधिकरण स्थापित हो जायेगा उन्हें उसी समय प्राधिकरण को अंतरित किया जा सकता।

(iv) सरकार अंतरिम बीमा विनियामक प्राधिकरण को ऐसे अतिरिक्त असांविधिक कार्य सौंप सकती है, जो आवश्यक समझे जाएं ताकि यह बीमा उद्योग के सुव्यवस्थित विकास को प्रभावी रूप से नियमित, संवर्धित और सुनिश्चित कर सके।

(v) बीमा विनियामक प्राधिकरण की अध्यक्षता केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(vi) बीमा विनियामक प्राधिकरण के अन्य सदस्य जिनकी संख्या सात से अधिक न हो, जिनमें से पूरे समय की सेवा में तीन से अधिक न हों, केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और वे उन व्यक्तियों में से होंगे जिन्हें जीवन बीमा, साधारण बीमा, वित्तीय, आर्थिक, विधि और प्रशासनिक मामलों का अनुभव एवं जानकारी हो।

(vii) बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जब तक सरकार चाहे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर ही नियोजित किए जाएंगे।

(viii) बीमा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास बीमा विनियामक प्राधिकरण के कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए उपयुक्त अधिकार होंगे। इस प्रयोजन हेतु और पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए बीमा विनियामक प्राधिकरण को उपयुक्त सहायक स्टाफ प्रदान किया जायेगा।

(ix) बीमा विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले व्यय को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार पर्याप्त अनुदान प्रदान करेगी।

(x) सरकार समस्त निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के होते हुए बीमा विनियामक प्राधिकरण :—

(क) बीमा बाजार के संवर्धन एवं सुव्यवस्थित विकास से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगा;

(ख) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए विस्तृत कानून का प्रस्ताव करना; और

(ग) : (क) और (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य गैर-सांविधिक कार्यों को पूरा करना जो केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकरण/अध्यक्ष को प्रत्यायोजित किए जा सकें।

(xi) बीमा विनियामक प्राधिकरण अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र होगा और सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों से अपने कार्य प्रचालन के लिए संबंधित रिकार्ड, विवरणियां, टिप्पणियां, सूचना, आंकड़े अथवा कोई भी अन्य सामग्री मंगवाने और उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए भी अधिकार होंगे।

(xii) बीमा विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा और वह सरकार को बीमा कम्पनियों के विभिन्न पहलुओं पर आवधिक रिपोर्ट और समय-समय पर सरकार द्वारा ऐसे अन्य विशेष मामलों पर मांगी गई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपियां सभी संबंधितों को दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

[फा. सं. 17(2)/94–बीमा–I]

सी. एस. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INSURANCE DIVISION)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd January, 1996

Whereas for some time past the Government of India has been concerned about the healthy regulation, promotion and orderly growth of the insurance market; and

Whereas Government are satisfied that it is necessary to pass a comprehensive legislation to establish an Insurance Regulatory Authority (IRA) to replace the institution of Controller of Insurance provided under Section 2(B) of Insurance Act, 1938; and to amend the relevant Sections of this Act, Life Insurance Corporation Act, 1956, and the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972, in so far as they relate to regulation, promotion and orderly growth of the industry, and

Whereas the Government are satisfied that pending the enactment of such a comprehensive legislation it is necessary to constitute and make operational an interim body as a precursor to the proposed statutory Authority, with which the interim body would be ultimately merged, or which it will be converted into when the latter is constituted;

Now, therefore the Government of India do hereby constitute the Insurance Regulatory Authority (IRA) under the overall administrative control of the Ministry of Finance.

(1) The Chairman of IRA will also be appointed as Controller of Insurance (COI) for purposes of Section 2(B) of the Insurance Act, 1938, and exercise all powers which vest with the COI at present.

(ii) The interim body will examine which of the powers withdrawn from the Controller of Insurance or modified through Government Notifications issued from time to time, or delegated to the LIC and the GIC under nationalising enactments of the insurance business, need to be restored to the Controller of Insurance. While undertaking this exercise, the IRA may bear in mind the possibility of privatisation of insurance industry, wholly or partially and make appropriate recommendations regarding the role and powers which will need to be exercised by the IRA in such a scenario.

(iii) The interim body will also examine the powers of the Central Government under the Insurance Act, 1938 which can be transferred to the Insurance Regulatory Authority as and when it is set up.

(iv) The Government can assign such additional non-statutory functions as may be considered necessary to the interim IRA to enable it to effectively regulate, promote and ensure the orderly growth of the insurance industry.

(v) The IRA shall be headed by a Chairman to be appointed by the Central Government.

(vi) The other Members of the IRA, not exceeding seven in number, of whom not more than three shall serve full time, shall be nominated by the Central Government and shall be from amongst persons having experience and knowledge in life insurance, general insurance, financial, economic legal and administrative matters.

(vii) The Chairman and the Members of IRA shall hold office during the pleasure of the Government and shall be governed by such terms and conditions as may be determined by the Government from time to time.

(viii) The Chairman of the IRA shall have appropriate powers to discharge the functions of the IRA effectively. For this purpose the IRA shall provide itself with suitable supporting staff and raise adequate resources.

(ix) The Government will provide adequate grants for financing the expenses incurred by the Insurance Regulatory Authority.

(x) Subject to the overall directions and guidelines of the Government the IRA shall—

(a) deal with all matters relating to promotion and orderly growth of insurance market;

(b) propose comprehensive legislation for the purpose indicated above; and

(c) carry out such other non-statutory functions as may be delegated to the Authority/Chairman by the Central Government for the purposes indicated in (a) and (b) above.

(xi) The IRA shall be free to determine its own procedures and will have powers to call for records, returns, notes, memoranda, data or any other material relevant to its working from official and non-official bodies and also hold discussions with them.

(xii) The IRA will have its headquarter in Delhi and submit periodical reports to Government on various aspects of the Insurance companies and on such other specific matters as may be called for by the Government from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

[F. No. 17(2)/94-Ins. V]

C. S. RAO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1996